



# झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 380 राँची, सोमवार,  
20 ज्येष्ठ, 1946 (श०)  
10 जून, 2024 (ई०)

## कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

5 मार्च, 2024

**संख्या-04/स्था०पद०-02-01/2023 का. 1708**--अपर समाहर्ता, सरायकेला-खरसावाँ के पद पर पदस्थापित श्री रविन्द्र गगराई, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 56/20, गृह जिला- प० सिंहभूम), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर निदेशक भू-अर्जन एवं पुनर्वास स्वर्णरेखा बहूद्देशीय परियोजना, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

**2) संख्या-04/स्था०पद०-02-01/2023 का. 1709**--उप सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री राज महेश्वरम, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-4/20, गृह जिला -देवघर), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, साहेबगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

**3) संख्या-04/स्था०पद०-02-01/2023 का. 1710**--विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची के पद पर पदस्थापित श्री जेम्स सुरीन, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 59/20, गृह जिला- गुमला), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, पाकुड़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

**4) संख्या-04/स्थापद0-02-01/2023 का. 1711--**भूमि सुधार उप समाहर्ता, गुमला के पद पर पदस्थापित **श्री मनीष कुमार**, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक- 155/20, गृह जिला-रांची), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक भूमि सुधार उप समाहर्ता पाकुड़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

**5) संख्या-04/ स्थापद0-02-01/2023 का.-1712--**उप परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पद पर पदस्थापित **श्री अजय कुमार रजक**, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक- 266/20, गृह जिला- रांची), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री रजक को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत दुमका अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

**6) संख्या-04/स्थापद0-02-01/2023 का. 1713--**भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद के पद पर पदस्थापित **श्री नरेश रजक**, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक- 378/20, गृह जिला-गिरिडीह), की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए इनकी सेवा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपते हुए इन्हें अगले आदेश तक जिला आपूर्ति पदाधिकारी देवघर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

**7) संख्या-04/स्थापद0-02-01/2023 का. 1714--**अनुमण्डल पदाधिकारी, बंशीधर नगर (नगर उटारी), गढ़वा के पद पर पदस्थापित **श्री रतन कुमार सिंह**, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक- 168 / 20, गृह जिला- गिरिडीह), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी महुआडांड के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री सिंह को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत महुआडांड अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

**8) संख्या-04/स्थापद0-02-01/2023 का. 1715--**अनुमण्डल पदाधिकारी, दुमका के पद पर पदस्थापित **श्री कौशल कुमार**, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक - 222 / 20, गृह जिला - रांची), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी लातेहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत लातेहार अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

**9) संख्या-04/स्थापद0-02-01/2023 का. 1716--**अनुमण्डल पदाधिकारी, महुआडांड (लातेहार) के पद पर पदस्थापित **श्री बिपिन कुमार दुबे**, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक - 319/20, गृह जिला- गढ़वा), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी बगोदर - सरिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री दुबे को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत बगोदर - सरिया अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

**10) संख्या-04/स्थापद0-02-01/2023 का. 1717--**अनुमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग सदर के पद पदस्थापित श्री **अशोक कुमार**, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक- 318 / 20, गृह जिला- चतरा), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी बेरमो (तेनुघाट) के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत बेरमो अनुमण्डल के लिए दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

**11) संख्या -04/ स्थापद0-02-01/2023 का. 1718--**अनुमण्डल पदाधिकारी, बगोदर - सरिया (गिरिडीह) के पद पर पदस्थापित श्री **संतोष गुप्ता**, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक - 314 / 20, गृह जिला- रामगढ़), की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपते हुए इन्हें अगले आदेश तक भूमि सुधार उप समाहर्ता धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

**12) संख्या-04/स्थापद0-02-01/2023 का. 1719--**अपर समाहर्ता, पाकुड़ के पद पर पदस्थापित **मो० जियाउल अंसारी**, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक- 32/20, गृह जिला - गोड्डा), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

**13) संख्या-04/स्थापद0-02-01/2023 का. 1720--**प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दुलमी, रामगढ़ (प्रोन्नति के उपरांत धारित पद अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित) के पद पर पदस्थापित श्री **सुनील कुमार प्रजापति**, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 373 / 20, गृह जिला- बोकारो), की सेवा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्री प्रजापति को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत सरायकेला अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

**14) संख्या - 04/ स्थापद0-02-01 /2023 का. 1721--**अपर समाहर्ता, साहेबगंज (अतिरिक्त प्रभार- परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, साहेबगंज) के पद पर पदस्थापित श्री **संजय कुमार दास**, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक - 65 / 20, गृह जिला - गोड्डा) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर उपपुक्त, सरायकेला-खरसावां के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

**15) संख्या -04/स्थापद0-02-01/2023 का. 1722--**अवर सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री **मोहन लाल मराण्डी**, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक- के 43/20, गृह जिला- गोड्डा) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, बुण्डू के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्री मराण्डी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2 1974 की धारा 20) के तहत बुण्डू अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

**16) संख्या - 04/ स्थापद0-02-01/2023 का. 1723--**भूमि सुधार उप समाहर्ता, कोडरमा के पद पर पदस्थापित श्री सुमन्त तिर्की, झाप्र०से० (कोटि क्रमांक- 376 / 20, गृह जिला- गढ़वा), की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्री तिर्की को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत सिमडेगा अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

**17) संख्या -04/स्थापद0-02-01/2023 का. 1724--**ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं० 839 दिनांक 28.02.2024 द्वारा सेवा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को वापस श्रीमती मोनी कुमारी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 121 / 20, गृह जिला - धनबाद), को अगले आदेश तक विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

**18) संख्या- 04/स्थापद0-02-01 /2023 का. 1725--**भूमि सुधार उप समाहर्ता, पाकुड़ के पद पर पदस्थापित श्री राजीव कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 164 / 20, गृह जिला - गोड्डा), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक भूमि सुधार उप समाहर्ता, गुमला के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

**19) संख्या-04/ स्थापद0-02-01/2023 का. 1726--**जिला आपूर्ति पदाधिकारी देवघर के पद पर पदस्थापित श्री प्रभाकर मिर्घा, झाप्र०से० (कोटि क्रमांक- 296 / 20, गृह जिला- देवघर), की सेवा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, बंशीधर नगर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्री मिर्घा, को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत बंशीधर नगर अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

**20) संख्या-04/ स्थापद0-02-01/2023 का. 1727--**ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं० 849 दिनांक 28.02.2024 द्वारा सेवा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को वापस श्री ज्ञानेन्द्र, झाप्र०से० (कोटि क्रमांक- 88 / 20, गृह जिला- लखीसराय, बिहार), को अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, सिमडेगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

**21) संख्या- 04/स्थापद0-02-01/2023 का. 1728--**अनुमण्डल पदाधिकारी, बेरमो (बोकारो) के पद पर पदस्थापित श्री शैलेश कुमार, झाप्र०से० (कोटि क्रमांक- 214 / 20, गृह जिला - गिरिडीह), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत हजारीबाग अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

**22) संख्या- 04/स्थापद0-02-01/2023 का. 1729--**अनुमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला, (सरायकेला- खरसावाँ) के पद पर पदस्थापित **श्रीमती पारूल सिंह**, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 326 / 20, गृह जिला उत्तर प्रदेश), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी धालभूम (जमशेदपुर), पू० सिंहभूम के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्रीमती सिंह को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत धालभूम अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

**23) संख्या- 04/स्थापद0-02-01/2023 का. 1730--**अनुमण्डल पदाधिकारी, चांडिल, (सरायकेला- खरसावाँ) के पद पर पदस्थापित **श्री गिरिजा शंकर महतो**, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 156/20, गृह जिला जामताड़ा), की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपते हुए इन्हें अगले आदेश तक जिला भूअर्जन पदाधिकारी, कोडरमा के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

**24) संख्या- 04/स्थापद0-02-01/2023 का. 1731--**जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ के पद पर पदस्थापित **श्री झुनु कुमार मिश्रा**, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 184/20, गृह जिला- प० चम्पारण), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक जिला आपूर्ति पदाधिकारी साहेबगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

**25) संख्या- 04/स्थापद0-02-01/2023 का. 1732--**प्रभारी उप निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण के पद पर पदस्थापित **श्री कृष्ण कुमार झा०प्र०से०** (कोटि क्रमांक- 244 / 20, गृह जिला हजारीबाग), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपने वेतनमान में उप नगर आयुक्त जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

**26) संख्या - 04/ स्थापद0-02-01/2023 का. 1733--**अवर सचिव, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित **श्रीमती श्वेता वेद**, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 159/20, गृह जिला भागलपुर, बिहार) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक क्षेत्रीय उप निदेशक, जियाड़ा, राँची प्रक्षेत्र के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

**27) संख्या- 04/स्थापद0-02-01 / 2023 का 1734--**भूमि सुधार उप समाहर्ता, महागामा (गोड्डा ) पद पर पदस्थापित **श्री गोपी उरांव**, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक - 130/20, गृह जिला - लोहरदगा), की सेव राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए इनकी सेवा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग, कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपते हुए इन्हें अगले आदेश तक जिला कल्याण पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

**28) संख्या -04/ स्थापद0-02-01/2023 का. 1735--**आयुक्त के सचिव, कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा के पद पर पदस्थापित श्री प्रेम कुमार तिवारी, झांप्रंसें (कोटि क्रमांक- 93/20, गृह जिला- राँची), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक महाप्रबंधक झारखण्ड खनिज विकास निगम, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

**29) संख्या -04/स्थापद0-02-01/2023 का. 1736--**अपर समाहर्ता, साहेबगंज (अधिसूचना सं० 1482 दिनांक 27.02.24 के आलोक में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में योगदान का निदेश) के पद पर पदस्थापित श्री बिनय कुमार मिश्र, झांप्रंसें (कोटि क्रमांक- 14/20, गृह जिला औरंगाबाद), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर समाहर्ता गोड्डा के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

**30) संख्या -04/स्थापद0-02-01/2023 का. 1737--**सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, राँची (अधिसूचना सं०5018 दिनांक 05.09.23 द्वारा अधिसूचित सेवा मंत्रीमंडल (निर्वाचन विभाग) के पद पर पदस्थापित श्रीमती रूबी कुमारी, झांप्रंसें (कोटि क्रमांक- 203/20, गृह जिला पटना), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप निदेशक डॉ रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

**31) संख्या -04/ स्थापद0-02-01/2023 का. 1738--**जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, कोडरमा के पद पर पदस्थापित श्री गोरंग महतो, झांप्रंसें (कोटि क्रमांक-855/03, गृह जिला फ० सिंहभूम), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक भूमि सुधार उप समाहर्ता हुसैनाबाद (पलामू) के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

**32) संख्या -04/ स्थापद0-02-01/2023 का. 1739--**जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज के पद पर पदस्थापित श्री अमर प्रसाद, झांप्रंसें (कोटि क्रमांक- 216/20, गृह जिला-गुमला), की सेवा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड राँची से वापस लेते हुए इनकी सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपते हुए इन्हें अगले आदेश तक भूमि सुधार उप समाहर्ता, मधुपुर (देवघर) के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

**33) संख्या -04/ स्थापद0-02-01/2023 का. 1740--**अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के पद पर पदस्थापित श्री शीलवन्त कुमार भट्ट, झांप्रंसें (कोटि क्रमांक- 220/20, जिला- चतरा), की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपते हुए इन्हें अगले आदेश तक भूमि सुधार उप समाहर्ता, नगर उंटारी (गढ़वा) के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

**34) संख्या -04/ स्थापद0-02-01/2023 का. 1741--**अनुमंडल पदाधिकारी, बुण्डू (राँची) के पद पर पदस्थापित श्री संदीप अनुराग टोपनो, झांप्रंसें (कोटि क्रमांक- 288/20, गृह जिला- सिमडेगा), की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपते हुए इन्हें अगले आदेश तक भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूरी महुआ (गिरिडीह) के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

**35) संख्या -04/ स्थापद0-02-01/2023 का. 1742--**अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा सदर के पद पर पदस्थापित श्री महेन्द्र छोटन उरांव झांप्रंसें (कोटि क्रमांक- 278/20, गृह जिला-गुमला), की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपते हुए इन्हें अगले आदेश तक जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसवाँ के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

**36) संख्या -04/ स्थापद0-02-01/2023 का. 1743--**अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार के पद पर पदस्थापित मो० परवेज, झांप्रंसें (कोटि क्रमांक- 231/20, गृह जिला-गुमला), की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपते हुए इन्हें अगले आदेश तक जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, खूँटी के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

2. वैसे पदाधिकारी जिनके स्थान पर किसी अन्य का पदस्थापन हो गया है एवं उनका पदस्थापन कहीं नहीं किया गया है, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,  
सरकार के अपर सचिव ।

-----